EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 713-744

Dated 1-7-2006

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण THE NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2006

सा.का.नि. 156.—राष्ट्रीय, जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 14 और धारा 64 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की पद्भित और सेवा की शर्तों का विनियमन करने के निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें) विनियम, 2006 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द.—राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों का नाम, उनकी संख्या वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों के लिए भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षक अर्हताएं और अन्य संबंधित विषय वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता. वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के परामर्श से यदि संतुष्ट हो कि ऐसे विवाह की व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति को अनुमति है और यह कि ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो इस नियम से किसी को छूट दी जा सकती है।

- 5. सेवा शर्ते : राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारयों और कर्मचारियों को भन्ने, छुटिट्यों, भविष्य निधि, अधिनर्षिता आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति कामदो, चिकित्सा सुविधाओं और सेवा को अन्य शर्तों के विषय को तत्समय के लिए उन स्थानों पर नियुक्त उसी वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के यथास्थित समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ के अधिकारियों और कर्मचारियों, पर लागू ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- 6. नियुक्ति प्राधिकारी.—(1) समूह ''क'' और समूह ''ख'' पदों की सभी नियुक्तियां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी। (2) ''समूह ग'' और ''समूह घ'' पदों पर सभी नियुक्तियां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकारण के सचिव द्वारा की जाएंगी।
- 7. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत. आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 8. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछडे वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंधा करना अपेक्षित है।

				अनुसूची		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए सेवा वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
1	2	3	4	5	6	7
सचिव	01(2006)	समूह 'क' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	18000-500- 22400 ₹.	लागू नहीं होता	हां	50 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 55 वर्ष तक शिथिलनीय)
1939 E&F/0	6	Was August		(1)		-

		1
		7
		टिप्पणी: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन
		प्राप्त करने के लिए नियत की गई ऑतिम तारीख होगी। (न कि वह ऑतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
		मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल
		प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए
		विहित की गई है।)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अविध यदि कोई हो
8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणीविज्ञान/वनस्पित विज्ञान/समुद्री जीव विज्ञान/ जैव प्रौद्योगिकी में डिग्री/प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री या समुतुल्य और अनुभव: जैवविविधता/सूचीबद्धता/संरक्षण और प्रबंधन, राष्ट्रीय जैवविविधता कार्यनीतियों पर प्रास्थिति सर्वेक्षण के क्षेत्र में 14 वर्ष का अनुभव और कम से कम प्रशासन और भारत सरकार के नियमों में 05 वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएंगा	की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्निति/
11		12
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	के या समतुल्य वेतनम् (iii) मूल काडर/विभाग में कम्	
	(ख) जिसके पास संबंधित क्षेत्र के स	1थ ही साथ प्रशासन कार्य में अनुभव है।

					12	
			उस <u>ं</u> धार्	ो या किसी अ	ान्य संगठन/वि य काडर बाह्	र जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के वभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है इ नहीं होगी।
			(2) प्राप) प्रतिनियुक्ति ह त करने की अं	द्वारा नियुक्ति वे तिम तारीख व	h लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
यदि विभागीय प्र	ग्रोन्नति समिति है तो, उसव	की संरचना	the transfer constitution con-		हरने में किन से परामर्श वि	। परिस्थितियों में संघ लोक सेव कया जाएगा
	13					14
समूह "क" वि करने के लिए	वभागीय प्रोन्नति समिति है) में निम्नलिखित हो	त (केवल पुष्टि वे ोंगे :-	h संबंध में विचा	ार		लागू नहीं।
1. सचिव, पर्याव	त्ररण और वन मंत्रालय		–अध्यक्ष			
2. अध्यक्ष, राष्ट्रं	ोय जैव विविधता प्राधिक	रण	–सदस्य			
3. अपर सचिव,	, पर्यावरण और वन मंत्राव	त्रय	–सदस्य			
1	2	3	4	5	6	7
2. प्रशासनिक अधिकारी	.1*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समृह "क" अराजपत्रित (अनुसचिविय)	10000-325- 15200 ₹.	लागृ नहीं	नहीं	45 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों था आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 50 वर्ष और अनुसूचित जन जनजाति की दशा में 55 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
						टिप्पण: - आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख -भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारिख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

8			9			10
प्रशासन में मास्ट सरकारी संगठन	विवद्यालय या संस्थान र डिग्री या समतुल्य में प्रशासन या स्थापना भव और कम्प्यूटर पर व	र और कार्यों का	लागू नहीं			सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष
11	-		12			
प्रतिनियुक्ति द्वारा पर सीधी भर्ती द्वा			•			के ऐसे अधिकारी जो पद धारण किए हुए हैं।
			या स (iii) मूल	ामतुल्य वेतनम काडर∕विभाग	ान में नियमि में कम से क	तम 05 वर्षों से 8000-13500 रुपए के त आधार पर पद धारण किए हुए हैं म 8 वर्षों से 6500-175-10500 रु. के त आधार पर पद धारण किए हैं; औ
			(ख) जिसके	पास संबंधित १	क्षेत्र के साथ	ही साथ प्रशासन कार्य में अनुभव हो
			या किसी अन्य	संगठन/विभाग	ग में इस नियु	जसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उर्स क्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य ध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक
						अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त ाधिक नहीं होगी ।
	13					14
े. अध्यक्ष, राष्ट्रीय इ. सचिव, राष्ट्रीय इ. एक सहयोजित अनुसूचित जनजा	भागीय प्रोन्नित समिति ग जैवविविधता प्राधिकर जैवविविधता प्राधिकरण । सदस्य जो मुख्य रूप ते का अधिमानतः भा से अन्यून का न हो ।	ण ा से अनुसूचित जाति र				लागू नहीं ।
1	2					
3. अध्यक्ष का निजी सचिव	1*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	3 समूह "क" अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	4 10000-325- 15200 रु.	5 लागू नहीं	6 नहीं	7 35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की

टिप्पण:-आय्-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारिख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पृति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। 8 9 10 (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लागू नहीं सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों बैचलर डिग्री या समतुल्य के लिए 2 वर्ष (ii) कम्प्यूटर का ज्ञान; और (iii) अनुभवः आशुलिपि, प्रशासन और भारत सरकार नियमों का 10 वर्ष का अनुभव। 11 12 प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी जो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं, या (ii) मूल काडर/विभाग में कम से कम 5 वर्षों से 8000-13500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं; या (iii) मूल काडर/विभाग में कम से कम 8 वर्षों से 6500-10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं; और (ख) आशुलिपि, प्रशासन और भारत सरकार के नियमों में 10 वर्ष का अनुभव। टिप्पणी: (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्त की अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (2) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13 14 समृह "क" विभागीय प्रोन्ति समिति में निम्नलिखित होंगे :-लागू नहीं होता। अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण 2. सचिव, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण 3. एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिमानतः भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से अन्यून का न हो 3 4 5 6 7 2 4. लेखा अधिकारी 1*(2006) समूह "क" सं नहीं 8000-275-लागू नहीं 2.1 30 (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-*कार्यभार के अराजपत्रित 13500 ₹. आधार पर परिवर्तन (अनुसचिवीय) समय पर जारी अनुदेशों या किया जा सकता है। आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारिख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल ओर स्पीति जिले तथा चम्बा जिले वेठ पांगी उप-खांड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नीचे दिए सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों लागू नहीं गए निम्न विषय में बैचलर डिग्री या समतुल्य के लिए 2 वर्ष। (1) वाणिज्य (2) गणित (3) सांख्यिकी (4) अर्थशास्त्र (5) कम्प्यूटर विज्ञान (6) प्रचालन अनुसंधान (7) वित्त/ वित्तीय प्रबंधन और लेखाक्रम । अनुभव (वांछनीय): सहायक लेखा अधिकारी की श्रेणी में सरकारी विभागों से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव और भारत सरकार के नियमों और विनियमों से सुपरिचित । कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो ।

	11				12	And the second s
	द्वारा जिसके न	हो		(क) (i) नियमि (ii) मूल का 250-12000 (iii) मूल क के या समृतुत (ख) संबंधित क्षेत्र रोजगार कार्यालयों सीमा अवधारित व	त आधार पर सदृष्ट इर/विभाग में नियि रुपए के या सम इर/विभाग में कम त्य वेतनमान में पर के साथ ही साथ के माध्यम से की रुपे के लिए निण	कार के ऐसे अधिकारी जो रा पद धारण किए हुए हैं, या मेत आधार पर कम से कम दो वर्षों से 7500- तुल्य वेतनमान में पद धारण किए हो; या ते कम पांच वर्षों से 6500-200-10500 रु द धारण किए हुए हैं; और प्रशासन कार्य में अनुभव हो। जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु चिक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस ने के लिए कहा गया है।
	13					14
 सचिव, एक सह जनजाति 	राष्ट्रीय जैवविवि योजित सदस्य	विधता प्राधिकरण मधता प्राधिकरण जो अनुसूचित जाति तः भारत सरकार वे न हो		- अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य	6	7
5. सलाहका (विधि)	र 1*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन जा सकता है	अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	7,500-250- 12,000 ₹.	लागू नहीं	नहीं	40 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में 50 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

8	9		10
अनिवार्य :	लागू नहीं होता		दो वर्ष
 किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में द्वितीय श्रेणी में बैचलर डिग्री या समतुल्य और कम्प्यूटर में कार्यसाधक ज्ञान । 	GILT, 161 GIVI		41 47
 किसी सरकारी विभाग अथवा स्वशासी निकाय में न्यायिक अधिकारी या विधि अधिकारी या सहायक विधि सलाहकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव अथवा उपभोक्ता पेटेन्ट अधिकारों/बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों से संबंधित कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव । 			
वांछनीय :			
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में मास्टर डिग्री			
11		12	
सीधी भर्ती		लागू नहीं होता	
13			14
समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नित समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :			लागू नहीं होता ।
1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण	–अध्यक्ष		
2. सचिव, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण	–सदस्य		
 एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाित या अनुसूचित जनजाित का हो और भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो 	—सदस्य		
factorial control of the control of			
1 2 3 4	5	6	7
6. तकनीकी 1*(2006) समूह ''ख'' 7,500-250- अधिकारी *कार्यभार के अराजपत्रित 12,000 रु. (बौद्धिक आधार पर (अननुसचिवीय) संपदा परिवर्तन किया अधिकार) जा सकता है।	चयन	नहीं	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,

		and the second s		
				मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यथियों के लिए विहित की गई है।)
8	9			. 10
शैक्षणिक अर्हता :	लागू नहीं होता			दो वर्ष
(क) अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री या समतुल्य और कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान ।				
(ख) वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में मास्टर डिग्री अथवा समतुल्य; और				
अनुभव : उपभोक्ता/पेटेन्ट अधिकार/बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों में अधिवक्ता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।				
		10		
11		12		<u> </u>
सीधी भर्ती		लागू नहीं होता		
13				14
समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्तित समिति जिसमें निम्नर्लि	खेत होंगे :-			लागू नहीं होता ।
1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण	अध्यक्ष			
2. सचिव, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण	–सदस्य			
3. एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और अधिमानतः भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ।	–सदस्य			
सायव का पाक्त सं नाय का न हा।				
			· .	7
1 2 3 4	5	6		7
7. तकनीकी 1*(2006) समूह ''ख'' 75,00-250- अधिकारी *कार्यभार के अराजपत्रित 12,000 रू (फायदा आधार पर (अननुसचिवीय) भागीदारी) परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	नहीं		30 वर्ष (क्नेन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारणअध्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और जाति या अनुसूचित जनजाति को दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

				7
				टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम मेघालय, अरूणाचल प्रदेश मिजोरम, मिणपुर, नागालैण्ड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप य लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
8		9		10
शैक्षणिक अर्हता :		लागू नहीं	होता	दो वर्ष
(क) अनिवार्य:				, , ,
(ख) वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वित् संस्थान से सामाजिक विज्ञान में डिप्लोमा य और अनुभव : विस्तार कार्यों/लाभ भागीदारी से संबंधि में 5 वर्षों का अनुभव	॥ समतुल्य;			
11			12	
सीधी भर्ती			लागू नहीं हो	 ਗ
13				14
समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नित समिति जिस्से 1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण 2. सचिव, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण 3. एक सहयोजित सदस्य जो मुख्य रूप से अनुस् जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और अधि भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे	्चित धमानत:	खेत होंगे : अध्यक्ष सदस्य सदस्य		लागू नहीं होता
1 2 3	4	5	6	7
R. सचिव के 1*(2006) समूह''क'' 6	5500-200- 0500 रु.	लागू नहीं	नहीं	21 से 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में

		7
		40 वर्ष तक और अनुसूचित जा
		या अनुसूचित जनजाति की दर
		में 45 वर्ष तक की छूट शिथिल
		की जा सकती है)।
		टिप्पण :—(1) प्रतिनियुक्ति क
		अविध जिसके अंतर्गत केंद्री सरकार के उसी या किसी अन
		संगठन/विभाग में इस नियुक्ति र
		टीक पहले धारित किसी अन
		काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति
		की अवधि है, साधारणतया ती
		वर्ष से अधिक नहीं होगी।
		(2) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति
		के लिए अधिकतम आयु-सीम
		आवेदन प्राप्त करने की अंतिम
		तारीख को 56 वर्ष से अधिव
		नहीं होगी ।
8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर	लागू नहीं	दो वर्ष
डिग्री या समतुल्य कम्प्यूटर ज्ञान सहित (माइक्रो साफ्ट ऑफिस/ एक्सेल आदि में प्रवीणता और आशुलिपि में पांच वर्ष का		
अनुभव।		
11	12	
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो	प्रतिनियुक्ति:-कोन्द्रीय या	राज्य सरकारों के अधिकारी जो
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(क) (i) जो नियमित आध	गर पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं, या
	(ii) मूल काडर∕विभ	गण में नियमित आधार पर कमासे कम तीकवर्षों से
	5500−175−9000 र > — — —	पए के या समतुल्य वेतनमान में पद धारण किए हैं, य
	(111) मूल काडराव	माग में कम से कम 13 वर्षों से 4000-100-6000 वेतनमान में पद धारण किए हैं ; और
	रुपए क या समतुल्य	ही साथ प्रशासन कार्य में अनुभव हो।
	(ख) सबाधत क्षेत्र के साथ	हा साथ प्रशासन काय न जारान्य हा। 1 की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी
	ाटप्पण :- (1) प्रातानयुक्त	ग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य
	काह्य हाह्य पर पर पतिनिय	क्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक
	नहीं होगी।	THE THE COUNTY OF THE COUNTY O
		क्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त
	करने की अंतिम तारीख को	56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
79		
13		14
समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित होंगे	T :-	14 लागू नहीं
प्तमूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित होंगे ।. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण	ो :— —अध्यक्ष	
समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित होंगे ।. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण		
समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित होंगे 1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण 2. सचिव राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण	–अध्यक्ष	
समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित होंगे ।. अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण	—अध्यक्ष —सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
9. कार्यालय सहायक/ कम्प्यूटर सहायक	2*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह ''ग्'' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	5500−175− 9000 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	20 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
8				9		10
[°] आवश्यक :			त्याग	 नहीं होता		दो वर्ष
अनुभव (वांछ	दे में प्रशासन कार	विभागों/स्वभास नि र्व के क्षेत्र में कम स	नकायों/ वे कम			
11				12		
	रा जिसके न हो भर्ती द्वारा।		प्रति (क)	ने युक्ति ः केन्द्रीय या र (i) नियमित आधार	ाज्य सरकारों व पर सदृश पद	के ऐसे अधिकारी जो धारण किए हुए हैं, या
				(ii) मूल काडर∕विभ 4000-100-6000 र हैं; या	ाग में नियमित तपए के या सम	आधार पर कम से कम दस वर्षों से तुल्य वेतनमान में पद धारण किए हुए
			(평)	संबंधित क्षेत्र और प्रश	ासन कार्य में	अनुभव हो।
			या वि	न्सी अन्य संगठन/विभा बाह्य पद पर प्रतिनियु	ग में इस नियुरि	नसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी क्त से ठीक पहले धारित किसी अन्य महै, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक
			(2) करने	प्रतिनियुक्ति द्वारा नियु की अंतिम तारीख को	क्ति के लिए 56 वर्ष से आ	अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त धिक नहीं होगी।
	13	3.				.14
समूहं ''गः' वि	———— वेभागीय प्रोन्नति	। समिति में निम्न	ालिखित होंगे :-	2	9	लागू नहीं
1. सचिब, राष्ट्रं	ोय जैवविविधता प्र	प्राधिकरण	–अध	यक्ष		
2. प्रशासनिक र	अधिकारी राष्ट्रीय	जैवविविधता प्राधिव	करण –सद	स्य		
जनजाति क	जित सदस्य जो अ । हो जो अधिमान ।चिव की पंक्ति न	तः भारत सरकार	- सदः	प्य		

1 2 3	4	5	6	7
	5500-175- 9000 रु.	लागू नहीं	नहीं	20 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-सम पर जारी अनुदेशों या आदेशों व अनुसार सरकारी सेवकों के लि साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 4 वर्ष और अनुसूचित जाति औ अनुसूचित जनजाति की दशा प 45 वर्ष तक शिथिल की जा सका है)।
				टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारि करने के लिए निर्णायक तारीय भारत में अभ्यर्थियों से आवेद प्राप्त करने के लिए नियत व गई अंतिम तारीख होगी (न वि वह अंतिम तारीख जो असम् मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मी राज्य के लद्दाख खण्ड हिमाचल प्रदेश के लाहोल औ स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले व पागी अपखंड, अंडमान औ निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप व अभ्यर्थियों के लिए विहित क
				टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाल भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आ सीमा अवधारित करने के लि निर्णायक तारीख वह अंति तारीख होगी जिस तक रोजग कार्यालयों से नाम भेजने के लि कहा गया है।
8		9	Mark of The art of the same against a relation special account of the same advances of the same and the same a	10
भावश्यक : केसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्र वज्ञान/वनस्पति विज्ञान, समुद्री वनस्पति विज्ञान/मिस्य में मास्टर डिग्री या समतुल्य, और	ाणि	लागू नहीं होता		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
अनुभव : वर्गिकी/जैव विविधता से संबंधित कार्य में अनुसंधान का दो वर्ष का अनुभव वांछनीय : कम्प्यूटर का ज्ञान				

	11				12	
	। द्वारा जिसके न तीधी भर्ती द्वारा।	हो		प्रतिनियुक्तिः	_ । सरकारों के ऐसे अ	मिकारी जो−
7/1 7()	aimi mii gidi					श पद धारण किए हुए हैं; अथवा
				(ii) मूल	काडर⁄विभाग में नि	नयमित आधार पर कम से कम दस वर्षे या समतुल्य वेतृनमान में पद धारण किर
				(ख) संबंधित र	और ही साथ प्रशास	न कार्य का अनुभव रखते हो।
				टिप्पण :- (1) या किसी अन्य काडर बाह्य पद) प्रतिनियुक्ति की अ संगठन/विभाग में इस	विधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के र प्र नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अ ो अविधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधि
				नहीं होगी। (2) प्रतिनियुवि करने की अंतिम	क्त द्वारा नियुक्ति के तारीख को 56 वर्ष	े लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्र सि अधिक नहीं होगी।
		13				14
ह ''ग'	' विभागीय गोः	नित समिति में	निम्नलिग्वित से	गे :		लागू नहीं
	INTINIA MI	ारार हामारा म	rate in carrier of			
सचिव, र			ra-menosti et			
प्रशासनिक एक सहक	ाष्ट्रीय जैव विवि क अधिकारी राष्ट्र योजित सदस्य जो	धता प्राधिकरण ट्रीय जैव विविधता अनुसूचित जाति र	प्राधिकरण याः	—अध्यक्ष —सदस्य		
प्रशासनिक एक सहर जनजाति	ाष्ट्रीय जैव विवि क अधिकारी राष्ट्र योजित सदस्य जो का हो और ऑ सुचिव की पींवे	धता प्राधिकरण ट्रीय जैव विविधता अनुसूचित जाति र धिमानतः भारत सर स्त से नीचे का न ह	प्राधिकरण या कार हो	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य		
प्रशासनिव एक सहर जनजाति के अवर	ाष्ट्रीय जैव विवि क अधिकारी राष्ट्र योजित सदस्य जो का हो और आ सुचिव की पींवे 2	धता प्राधिकरण ट्रीय जैव विविधता अनुसूचित जाति व धमानतः भारत सर स्त से नीचे का न ह	प्राधिकरण या कार हो	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य 5	6	7
प्रशासनिक एक सहर जनजाति	ाष्ट्रीय जैव विवि क अधिकारी राष्ट्र योजित सदस्य जो का हो और ऑ सुचिव की पींवे	धता प्राधिकरण ट्रीय जैव विविधता अनुसूचित जाति र धिमानतः भारत सर स्त से नीचे का न ह	प्राधिकरण या कार हो	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य	6 नहीं	7 18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वाग समय-स पर जारी अनुदेशों या आदे के अनुसार सरकारी सेवकों के ि साधारण अभ्यर्थियों की दशा में वर्ष तक और अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की दशा 45 वर्ष तक शिथिल की जा सक है)। टिप्पणी 1 : आयु-सी अवधारित करने के ति

			7		
			चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)		
			टिप्प्रणी 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।		
		and the state of t			
8	9		10		
स्टेनोग्राफर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव	लागू नहीं		दो वर्ष		
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12			
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुद्धितः – केन्द्रीय या राज्य सरव	कारों के ऐसे अधिकारी	जो :—		
	(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं, या				
	4000		आधार पर कम से कम दस वर्षों से या समतुल्य वेतनमान में पद धारण		
	(ख) संबंधित क्षेत्र	के साथ ही साथ प्रशा	सन कार्य में अनुभव हो।		
	या किसी अन्य संगठ	न/विभाग में इस नियुवि	सके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी त से ठीक पहले धारित किसी अन्य है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक		
		ारा नियुक्ति के लिए उ खि को 56 वर्ष से अधि	ाधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त थक नहीं होगी।		
13			14		
समूह ''ग'' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—		•	लागू नहीं होता।		
।. सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	–अध्यक्ष				
2. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	–सदस्य				
 एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाित या अनुसूचित जनजाित का हो और अधिमानतः भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से अन्यून का न हो 	–सदस्य				

1	2	3	4	5	6	7
2. आशुलिपिक "डी"	1*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह''ग'' 4000 अराजपत्रित 600 (अनुसचिवीय)	0-100- 0 ₹.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्यत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होशी। (न कि वह अंतिम तारीख होशी। (न कि वह अंतिम तारीख लों असम मेधालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माधवम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
8				9		10
ावश्यक : इसी मान्यता प्राप्त ब गैर अंग्रेजी में 80 श ग्रेजी टंकण (उच्च	ब्द प्रति मिनट अ	ट्रिक लेखन या समतुल्य ाशुलिपि की गित और र का ज्ञान।		लागू नहीं होता		दो वर्ष
	11			12		
तेनियुक्ति द्वारा जिस	कि न हो सकने प	ार सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनिर	गुक्ति:-		
-				या राज्य सरकारों के ऐस	ने अधिकारी	· जो.
						धारण किए हुए हैं, या
				(ii) मुल काडर/विभाग	में नियमित	आधार पर कम से कम पांच वर्षों मे
				(ii) मूल काडर∕विभाग	में नियमित	आधार पर कम से कम पांच वर्षों से या समतुल्य वेतनमान में पद धारण

टिप्पणी: (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (2) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 14 13 समृह ''ग'' विभागीय प्रोन्तित समिति में निम्नलिखित होंगे :-लागू नहीं होता। ।. सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण -अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधाकारी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण -सदस्य 3. एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित -सदस्य जनजाति का हो और अधिमानत: भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो 2 4 5 6 समूह ''घ'' 18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार नहीं 13. चपरासी/ 4*(2006) 2550-55-अचयन दफ्तरी *कार्यभार के द्वारा समय-समय पर जारी किए (अराजपत्रित) 2660-60-(दो बाह्य (अननुसचिवीय) गए अनुदेशों या आदेशों के आधार पर 3200 ₹. संसाधनों परिवर्तन किया अनुसार सरकारी सेवकों के लिए से और जा सकता है। साधारण अभ्यर्थियों की दशा में दो वेतन-40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति मान में) और अनुसूचित जनजाति की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणी 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिष्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पागी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9		10
आवश्यक :	लागू नहीं होता		सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिय के लिए छ: माह
(1) मिडिल स्कूल प्रमाण पत्र।			क । तिए छः मारु
(2) किसी ख्याति प्राप्त संगठन से जिल्दसाजी कार्य में प्रमाण-पत्र			
वांछनीय :			
(।) हिन्दी पढ़ने और लिखने की योग्यता ।			
(2) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के साथ क्षेत्रीय कार्यों को करने की योग्यता ।			
(3) जिराक्स मशीनों को चलाने की क्षमता।			
11		12	
नीधी भर्ती द्वारा या बाह्य अभिकरणों के माध्यम से संविदा के आधार पर ।		लागू नहीं होता	
13			14
तमूह ''ग'' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखि	ात होंगे :-		लागू नहीं होता।
. सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	—अध्यक्ष		-,
 प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 	–सदस्य		
 एक सहयोजित सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचि 	ात —सदस्य		
जनजाति का हो और अधिमानत: भारत सरकार के			
अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो			

NOTIFICATION

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 30th June, 2006

- **G.S.R.** 156.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 and Section 64 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the National Biodiversity Authority with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment and conditions of service of its officers and other employees, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the National Biodiversity Authority (Recruitment and Conditions of Service of Officer, and other employees) Regulations, 2006.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Staff of the National Biodiversity Authority.—The name of the posts of the Officers and other employees of the National Biodiversity Authority, their number, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 1 to 4 of the Schedule appended to these regulations.
- 3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, to the said post, age limit, qualifications, and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the National Biodiversity Authority may in cosultation with the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Conditions of Service.—The conditions of service of the officers and other employees of the National Biodiversity Authority in matters of Allowances, Leave, Provident Fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to the officers and employee of the Central Government belonging to Group A, Group B, Group C and Group D posts, as the case may be, of the corresponding scales of pay stationed at those places.
- 6. Appointing Authority.—(1) All appointment to Group 'A' and Group 'B' posts shall be made by the Chairperson of the National Biodiversity Authority.
- (2) All appointments to Group 'C' and Group 'D' posts shall be made by the Secretary of the National Biodiversity Authority.
- 7. Power to relax.— Where the National Biodiversity Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 8. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of	рау	Whether selection post or non- selection post	years under Civil	rule 30 of	t of added admissible the Central (Pension)
.1	2	3	4		5		6	
1. Secretary	1(2006)	Group A Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 18400 22400)- 5 00 -	Not applicable		Yes	
Age limit for dire	ect	Educational and of qualifications required for direct recruits		qualif direct	ner age and educatications prescribed recruits will apply se of promotees	for	Period (if any	of probation,
7.		8		9		10		
50 years (Relaxal men servants up accordance with or orders issued Government from Note: The crucia mining the age licosing date for reation from cand (and not the closeribed for those Meghalaya, Arun Mizoram, Manipu Fripura, Sikkim, I of Jaminu and Kalahaul and Spiti leangi Sub-Divisio District and Hima Andaman and Nior Lakshadeweep	to 55 years in the instructions by the Central time to time). I date for determit shall be the eccipt of applicates in India ing date present Assam tachal Pradesh, ar, Nagaland, Ladakh division shmir State, District and on of Chamba chal Pradesh, cobar Islands	Doctoral Degree/v class Master's De Zoology/Botany/N Biology/Biotechn from a recognized sity or Institute or lent; and Experience: 14 year perience in the fiel status survey on Ecity/investigations vation and manage National Biodivers Strategies, with min 5 years experience administration and ment of India rules	gree in Marine ology Univer- equiva- ars ex- ld of Biodiver- s/conser- ement, sity nimum in Govern-	No	tapplicable		Two year recruitm	ers for direct nent.

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.		n/deputation /absorption, tion/absorption to be made	
11		12	
By deputation failing which by direct recruitment	Officers of the	Central or State Governm analogous post on regular	
			. 16400-20,000 or equivalen or basis for at least two years
			of Rs. 14,300-400-18300 on for atleast four years; and
	(b) having expe	rience in the relevant field a	s well as in the administration
	in another ex-c	adre post held immediately e other Organization/ Dep	ling the period of deputation y preceding this appointment partment shall ordinarily no
			ent by deputation shal not be of receipt of applications.
lf a Departmental Promotion Committee exists, w		ircumstances in which Union to be consulted in making	Public Service Commission recruitment
13		14	
Group A Departmental Promotion Committee (cocases of confirmation only) consisting of: (i) Secretary, Ministry of Environment and For (ii) Chairman, National Biodiversity Authority (iii) Additional Secretary, Ministry of Environment and Forest	rests—Chairman	Not app	licable.
1 2 3	4	5	6
Administrative 1*(2006) Group A Officer *subject to Non-Gazetted variation de- pendent on workload.	Rs. 10000-	Not applicable	No
7 8		9	10
nd upto 55 years in the case Experience of	on from a niversity or qvivalent; and	Not applicable	Two years for direct recruits

8 Organization with working Tribes in accordance with the knowledge in Computer. instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). 11 12 By deputation failing which by direct recruitment. Deputation: Officers of the Central or State Governments: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding post in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre/department on regular basis for at least five year; or (iii) holding post in the scale of pay of Rs. 6500-175-10,500 or equivalent in the parent cadre/department on regular basis for atleast eight years; and (b) having experience in the relevant field as well as in the administration. Note: (1) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organization/Department shall ordinarily not exceed three years. (2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. 13 14 Group 'A' Departmental Promotion Committee Not applicable. consisting of: (i) Chairperson, National Biodiversity Authority. (ii) Secretary, National Biodiversity Authority. (iii) One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of Under Secretary to the Government of India.

1	2	3	4	5	6
• ;	1*(2006) *Subject to variation de- pendent on workload.	Group 'A' Non-Gazettea (Ministerial)	Rs. 10000- i 325-15200	Not applicable	No
7		6) Dechelon	- 1 C	9 Not analizable	10
35 years (Relaxable for Go vants upto the age the case of generand upto 45 years candidates belong Scheduled Castes Tribes in accordating instructions or order the Central Governation to time. Note: The crucial mining the age limbe the closing date of application from India (and not the prescribed for those Meghalaya, Anna Mizoram, Manipur, Tripura, Sikkim, La of Jammu and Kash Lahaul and Spiti Di Pangi Sub-Division District of Himacha Andaman and Niccor Lakshadweep).	of 40 years in ral candidates in the case of ging to the or Scheduled nee with the ders issued by ment from date for determit shall for receipt candidates in closing date e in Assam, chal Pradesh, Nagaland, dakh Division umir State, istrict and la of Chamba la Pradesh,	a recognized Institute or e (ii) Knowled (iii) Experien experience ir administration	lge in computer; ar ce: 10 years n stenography,	Not applicable	Two years for direct recruits.
11				12	
By deputation failin	g which by direc	ct recruitment.	Deputation:		
			Officers of the Ce	ntral or State Government	æ:
				alogous post on regular ba	•
				n the scale of pay of Rs. 8 or at least five years; or	000—13500 or equivalen
			(iii) holding posts regular basis for a	in the scale of pay of Rs. 65 atleast eight years;	500-10500 or equivalent or
			(b) having experie Government of In	ence in the field of stenog dia rules.	raphy, administration and
			Note:—(1) The point another ex-cade	eriod of deputation including post held immediately p	ng the period of deputation receding this appointmen
			in same or some of exceed three years	ther organization/Departm	ent shall not ordinarily no

1	3				14
Group 'A' Dep	artmental Promotio	n		No	t applicable.
(2) Secreta (3) One Constess	onsisting of: person, National Biolity, National Biodiv o-opted Member pr or Scheduled Tribe ary to the Governmen	versity Authority eferably belonging as not below the ra	g to Scheduled	—Chairman —Member —Member	
1	2	3	4	5	6
4. Accounts Officer	1* (2006) *Subject to variation de- pendent on workload.	Group 'A' Non-Gazetted (Ministerial)	Rs. 8000- 275-13500	Not applicable	Noi:
7		8		9	10
vant upto the a he case of ger and upto 45 y candidates be Scheduled Ca Tribes in acco nstructions or he Central Go ime to time.) Note: The cr mining the ag be the closing of application for Meghalaya, An Mizoram, Man Tripura, Sikkin of Jammu and D Lahaul and Spi Sub-Division of Himachal Prad	date for receipt rom candidates in the closing date those in Assam, runachal Pradesh, ipur, Nagaland, 1, Ladakh Division	(1) Commerce (2) Mathematic (3) Statistics (4) Economics (5) Computer S (6) Operational (7) Finance/Fin Management at Experience (De Having atleast t experience in th Departments in Accounts Office in the rules and of India. Working	niversity or ivalent in ollowing sections and Accountance sirable): three years a Government the grade of A er should be we regulations of	ssistant Ell-verse Government	Two years for direct recruits
11			12		
3y deputation :	failing which by dir	((i (e (I i a r	a) (i) holding a ii) holding post in the parent cac iii) holding post quivalent in th b) having exper Note: (1) The paranother ex- appointment in not ordinarily in 2) The maximum.	Central or State Government nalogous post on regular be in the scale of pay of Rs. 750 lre/department on regular be at in the scale of pay of Rs. 6 to parent cadre/department rience in the relevant field a teriod of deputation including cadre post held immediated as ame or some other Organizate exceed three years. In the closing date of the clo	asis; or 00-250-12000 or equivalent asis for at least two years; or 6500-200-10500 or for atleast five years; and s well as in administration ag the period of deputation ately preceding this cation/Department shall at by deputation shall not be

	13			14			
Group 'A' De	partmental Promotio	n Committee		Not applicable .			
(1) Chair (2) Secret	f: person, National Biodive tary, National Biodive Co-opted Member pre s or Scheduled Tribes	liversity Authority ersity Authority ferably belonging t	o Scheduled c of Under.	—Chairman —Member			
Secret	tary to the Government	nt of India		Member			
		3	4	5	6		
1	2			Not applicable	No		
. Advisor (Law)	1* (2006) *Subject to variation de- pendent on workload.	Group 'B' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 7500- 250-12000	Not applicable			
		8		9	10		
7		Essential:		Not applicable	Two years for direct		
ants upto the he case of ge and upto 50 candidates. It is constructions to the Central ime to time.) Note: The continuing the about a construction of application and a (and not orescribed for Meghalaya, Mizoram, Ma Tripura, Sikk of Jammu and Sub-Division Himachal Pra	r Government ser- e age of 45 years in eneral candidates years in the case of belonging to the astes or Scheduled cordance with the or orders issued I Government from rucial date for deter- inge limit shall g date for receipt as from candidates in of the closing date or those in Assam, Arunachal Pradesh, amipur, Nagaland, im, Ladakh Division d Kashmir State, piti District and Pang of Chamba District of adesh, Andaman and ads or Lakshadweep)	of	vision from versity or alent; and alent; and alent; and alent; and alent; and officer as a r Law Officer Advisor in an artment or Alentic years expected dealinging to consum allectual propertion.	s or y ito- pe- with er erty			
11				12			
Direct recruit	ment			Not applicable			
	13			14			
Group 'B' D consisting o (i) Chai (ii) Secre (iii) One Caste	epartmental Promoti	ediversity Authority ersity Authority— eferably belonging as not below the ran	-Member. to Scheduled k of Under	Not applica	ble.		

]	2	3	4	5	6	
Technical Officer (Intellectual roperty ight).	1*(2006) *Subject to variation de- pendent on workload.	Group 'B' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 7500- 250-12000	Selection	No	
7		8		9		10
Dyears Relaxable for the case of Ge and upto 45 andidates be cheduled Cribes in accustructions of the Centra me to time.) ote: The criming the accustribed for fighalaya. A figura, Sikki Jammu and ahaul and S angi Sub-Di istrict of Hin	r Government serage of 40 years in eneral Candidates years in the case of pelonging to the astes or Scheduled fordance with the for orders issued I Government from rucial date for deterge limit shall grade for receipt from candidates in the closing date or those in Assam, Arunachal Pradesh, unipur Nagaland, im, Ladakh Division I Kashmir State, piti District and ivision of Chamba machal Pradesh, d Nicobar Islands eep).	Essential qualifica (a) Essential: Bachelors Degree a recognized Univ Institution or equ working Knowled (b) Desirable: Master's degree in recognized Unive Institution or equ Experience: Five years experie Advocate dealing matters relating to consumer/patent rights/intellectual rights.	in law from versity or ivalent; and lge in Computer In law from a existy or ivalent; and ence as an g with the	Not applicable Tw		Two years
11				12		
irect recruits	ment	Not applicable				
	13				14	
•	epartmental Promotic			Chairman	Not applicable.	
	irperson, National Biodi			Member		
 (ii) Secretary, National Biodiversity Authority (iii) One Co- opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not belong the rank of Under Secretary to the Government of India 		ng to below ent	Member			

1	2	3	4	5	6	
Technical Officer (Benefit Sharing)	1* (2006) *Subject to variation dependent on workload	Group B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 7500-250- 12000	Not applicable	No	
				0	0	10
	7			8	9	
) years.	Government serva	nt) unto	Educationa (a) Essent	al qualifications :	Not applicable	Two years
ne age of 4() year and upto 45 year onging to the S accordance w	ars in the case of rs in the case of c cheduled Castes o	general candidates candidates be- or Scheduled Tribes as or orders issued by	(i) Master Zoology/M Fisheries.	's Degree in larine Biology/	арричини	
ote: The cruci	al date for determ ing date for recei	ining the age limit pt of application	computer. (b) Desira	ble: Diploma in from a recognized		
ibed for those radesh Mizora	in Assam, Megha m. Manipur, Naga	land, Tripura, Sikkim	University equivalent	or Institute or and Experience :		
adakh Division nd Spiti Distric	of Jammu and K t and Pangi sub-I chal Pradesh, An	ashmir State, Lahaul Division of Chamba daman and Nicobar	matters rel	erience in the ating to the activities/Benefit		
						14
11	12		13	motion Committee		14 Not
		Authority 2. Secretary Authority 3. One Co- belonging to Scheduled 1	rson, National Biodiv y, National Biodiv opted Member pr o Scheduled Cast Tribes not below to r Secretary to the	versity —Me eferably tes or the rank		
1	2	3	4	5	6	
Private Secretary to the Secretary	1* (2006) *Subject to	Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 6500-250- 10500	Not applicable	Νο	
	7		8	3	9	10
ne age of 40 year and upto 45 year	rs in the case of c	general candidates	recognized Institute or	degree from a University or equivalent with nowledge (Profi-	Not applicable	Two years

7

the Central Government from time to time.)

shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

11 14 Deputation: Officers of the Central or Group 'B' Departmental Promotion Not By deputation failing State Governments: Committee consisting of: applicable. which by direct recruitment (a) (i) Holding analogous post on 1. Chairperson, National Bioregular basis; or diversity Authority -Chairman (ii) holding post in the scale of pay 2. Secretary, National Biodiversity of Rs. 5500-175-9000/- or equivalent Authority —Member in the parent cadre/Department on 3. One Co-opted Member preferably regular basis for at least three years; or belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank (iii) holding post in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the of Under Secretary to the Government of India —Member parent cadre/Department for atleast thirteen years; and (b) having experience in the relevant field as well as in administration. Note: (1) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization/Department shall ordinarily not exceed three years. (2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. 2 3 4 5 6 Rs. 5500-175-Not applicable No 9. Officer 2* (2006) Group 'C' Non-Gazetted, 9000 Assistant *Subject to Ministerial. Computer variation Assistant dependent on workload. 7 8 9 1() 20 to 27 years (a) Essential: Two years (Relaxable for Government servant) upto (i) Bachelor's degree from applicable the age of 40 years in the case of general candidates a recognized University or and upto 45 years in the case of candidates be-Institute or equivalent with longing to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes knowledge in the use of in accordance with the instructions or orders issued by

Computer Software prog-

10 grammes useful in the office Not applicable Two years Note 1: The crucial date for determining the age limit work. shall be the closing date for receipt of application Experience (Desirable): from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Having at least five years Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, experience in the field of Ladaklı Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul administration in Government Departments/Autoand Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar nomous Bodies/Private Islands or Lakshadweep). Sector, etc. Note 2: The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names. 11 12 13 14 Group 'C' Departmental Promotion By deputation Deputation: Not Officers of the Central or State Governments: Committee consisting of :failing which applicable. by direct (a) (i) holding analogous post on regular 1. Secretary, National Biodiversity recruitment. Authority -Chairman (ii) holding post in the scale of pay of 2. Administrative Officer, National Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the parent Biodiversity Authority -- Member cadre/ Department on regular basis for at 3. One Co-opted Member preferably least ten years; and belonging to Scheduled Castes or (b) having experience in the relevant field Scheduled Tribes not below the rank as well as in administration. of Under Secretary to the Govern-Note. (1) The period of deputation including ment of India -Member the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization/ Department shall ordinarily not exceed three years. (2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application. 2 3 4 5 6 10. Technical 2* (2006) Group 'C' Rs. 5500-175-Not applicable No Assistant *Subject to Non-Gazetted, 9000 Non-Ministerial variation dependent on workload. 7 8 9 10 20 to 27 years (Relaxable for Government servant) upto (a) Essential: Not Two years the age of 40 years in the case of general candidates (i) Master's Degree in applicable and upto 45 years in the case of candidates be-Zoology/Botany, Marine longing to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes Biology/Fisheries from a

in accordance with the instructions or orders issued by

the Central Government from time to time.)

Note 1: 1 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar

Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Islands or Lakshadweep).

8

recognized University or Institute or equivalent

Experience:

Two years, experience in research in taxonomy/Bio-diversity related work.

Desirable: Knowledge in

computer

11	12	13	14
By deputation failing which by direct recruitment.	Deputation: Officers of the Central or State Governments: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. Secretary, National Biodiversity Authority —Chairman	Not applicable.
	(ii) holding post in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the parent cadre/ Department on regular basis for at least ten years; and (b) having experience in the relevant field as well as in administration. Note. (1) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization/ Department shall not be ordinarily not exceed three years,	 Administrative Officer, National Biodiversity Authority —Member. One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of Under Secretary to the Govern- ment of India —Member 	
	(2) The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		

1	2	3	4	5	6
11. Steno Grade. C.	l* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5500-175- 9000	Not applicable	No

9 7 8 10 18 to 27 years (Relaxable for Government servant upto (a) Essential: Not Two years the age of 40 years in the case of general candidates Bachelor's Degree from applicable a reconized University or and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes Institute or equivalent with in accordance with the instructions or orders issued by English Typing (Higher) with the Central Government from time to time.) shorthand speed 100 w.p.m. Knowledge in Computer. Note: 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application Experience : (Desirable): Five years, experience as from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal a stenographer. Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names. 12 В 14 11 Group 'C' Departmental Promotion By deputation Deputation: Not failing which Officers of the Central or State Governments: Committee consisting of: applicable. (a) (i) holding analogous post on regular by direct 1. Secretary, National Biodiversity recruitment. Authority -Chairman บลราร, บา 2. Administrative Officer, National (ii) holding post in the scale of pay of Rs. Biodiversity Authority 4000-100-6000 or equivalent in the parent -Member cadre/ Department on regular basis for at-One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled least ten years; and Castes or Scheduled Tribes not (b) having experience in the relevant field as well as in administration. of the Under Secretary to the Govern-Note: 1. The period of deputation including ment of India -Member the period of deputation in another ex-cadre post held immeditely preceding this appointment in same or some other organization/ department shall ordinarily not exceed three years. Note: 2 The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application. 1 2 3 5 4 6

Rs. 4000-100-

6000

Not applicable

No

12. Steno

Grade. D

1* (2006)

*Subject to

variation

dependent on workload. Group 'C'

Non-Gazetted.

Ministerial.

7 8 9 10

18 to 27 years
(Relaxable for Government servant upto Essential: Not Two years

the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note: 1 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Essential:
Matriculation from
a reconized Board/Institute
or equivalent with English
Typing (Higher) and shorthand speed 80 w.p.m. in
English and Knowledge
in computer.

Not applicable

11	12			13		14
By deputation failing which by direct recruitment.	Deputation: Officers of the Central or State Governments: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding post in the scale of pay of Rs. 3050-75-4590 or equivalent in the parent cadre/ Department on regular basis for at least five years; and (b) having experience in the relevant field as well as in administration. Note: 1 The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immeditely preceding this appointment in same or some other organization/ Department shall ordinarily not exceed for three years. Note: 2 The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.			Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. Secretary, National Biodiversity Authority — Chairman 2. Administrative Officer, National Biodiversity Authority — Member. 3. One Co-opted Member preferabley belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of the Under Secretary to the Government of India — Member		Not applicable
	2	3	4	5	6	
3. Peon/Daftry (2 by out- sourcing and 2 in scale of pay)	*Subject to variation	Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2550-55 2660-60- 3200	- Non selection	No	

18 to 25 years (Relaxable for Government servant upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates be- longing to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note: 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date pres- cribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.		8	9	10
		(a) Essential: (1) Middle School Certificate (2) Job certificate in binding works from any reputed organi- zation. Desirable: (1) Ability to read and write in Hindi. (2) Ability to undertake field duties with officers and other employees. (3) Ability to operate Xerox machines.		Six months for direct recruits
11	12	13		14
By direct recruitment or by Contract	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. Secretary, National Biodiversity		Not applicable.

Authority

ment of India

2. Administrative Officer, National

3. One Co-opted Member preferably belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not below the rank of the Under Secretary to the Govern-

Biodiversity Authority

[F. No. J-22018/19/2003-CSC (BC)]

—Chairman

-Member

-Member

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

basis through

outside agencies